भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2919

बुधवार, 05 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

स्पेस वेंचर कैपिटल फ़ंड

2919. श्री तनुज पुनियाः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए घोषित वेंचर कैपिटल फंड के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त निधि के अंतर्गत निवेश प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए क्या पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त निधि से कुल कितनी राशि जारी की गई है और इससे देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) यह फंड दिनांक 31-10-2025 को सेबी की मंज़ूरी मिलने के बाद से क्रियाशील है। दिनांक 24-07-2026 तक, योगदान समझौता के अंतर्गत इन-स्पेस ने "अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड" में कुल **₹188.93 करोड़ (वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2026-27 के ₹182.87 करोड़ सहित)** का योगदान दिया है। अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड की निवेश समिति ने निवेश के लिए तीन स्टार्टअप्स को चुना है।

(ख) अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड (एवीसीएफ) को सेबी-पंजीकृत श्रेणी II वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के तौर पर प्रौद्योगिकी विकास, वाणिज्यिकरण एवं प्रचालन प्रवर्द्धन में सहयोग प्रदान करने हेतु उभरते हुए स्पेस-टेक स्टार्टअप्स को इक्विटी कैपिटल प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है।
निधि निवेश के उद्देश्य और निवेश की रणनीति (अनुच्छेद 2.7.2 और 2.7.3) के अनुसार निवेश किया जाता है और ये सेबी (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) विनियमन, प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम और निधि से जुड़े अन्य दस्तावेज़ों के लागू प्रावधानों के अधीन होते हैं।

अनुच्छेद 2.7.2 और 2.7.3 निम्नानुसार हैं:

2.7.2 निधि निवेश का प्राथमिक उद्देश्य विकास के विभिन्न चरणों में मौजूद उभरते हुए स्पेस-टेक स्टार्टअप्स को अति आवश्यक इक्विटी कैपिटल उपलब्ध कराना और प्रचालन प्रवर्द्धन तथा नई प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण में मदद करना है, ताकि संबंधित स्टार्टअप्स भारत की व्यापक अंतरिक्ष संबंधी महत्वाकांक्षाओं में योगदान दे सकें **("निवेश उद्देश्य")**।

2.7.3 एक रणनीति के तौर पर, यह निधि विकास के अलग-अलग चरणों में उभरते हुए स्पेस-टेक स्टार्टअप्स में निवेश, और उनके प्रचालन प्रवर्द्धन, नई प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण और स्टार्टअप्स को भारत की व्यापक अंतरिक्ष संबंधी महत्वाकांक्षाओं में योगदान देने हेतु सशक्त बनाने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेगा ("**निवेश रणनीति**")। इस निधि द्वारा किए गए या किए जाने वाले सभी निवेश, एआईएफ विनियमों में निर्दिष्ट निवेश से जुड़ी पाबंदियों (यदि कोई हो) के अधीन होंगे।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्षः 2026-27 में, योगदान समझौता के अंतर्गत निधि प्रबंधक द्वारा बताई गई निवेश की ज़रूरतों के आधार पर इन-स्पेस का योगदान ₹182.87 करोड़ है। इस समय, वेंचर कैपिटल फंड जारी करने से देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में प्रतिशत के हिसाब से कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसका कोई सटीक अनुमान उपलब्ध नहीं है। इस निधि के अंतर्गत निवेश का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के योग्य स्टार्टअप्स को प्रौद्योगिकी विकास, वाणिज्यिकरण और प्रचालन प्रवर्धन के लिए पूंजी उपलब्ध कराना है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव का आकलन समय के साथ पोर्टफोलियो स्टार्टअप्स/कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
